बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म0प्र0)

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक /2016 निग– 1135 – II – 16

रमजान खान उम्र 68 वर्ष, पेशा पेंशनर, पिता स्वर्गीय श्री बली मोहम्मद निवासी मोहनपुरवा लिस्यू आनन्द स्कूल के पास पन्ना, तहसील पन्ना,जिला–पन्ना (म0प्र0) ———— पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

हरि नारायण शर्मा उम्र 50 वर्ष पेशा खेती पिता शिव शंकर शर्मा, निवासी बेनीसागर मोहल्ला पन्ना, तहसील पन्ना,जिला पन्ना (म0प्र0) ———— पुनरीक्षणग्रहीता

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील पन्ना राजस्व प्रकरण क्रमांक 29/अ–12/वर्ष 2013–14 आदेश दिनांक 29.12.2014 जिसके द्वारा बिना वैधानिक प्रकिया के सीमांकन कार्यवाही किये बिना सीमांकन अन्तिम किया गया ।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

महोदय,

पुनरीक्षण के तथ्य एवं आधार निम्नलिखित हैं :–

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य

01. यह कि पुनरीक्षणकर्ता ने स्वयं एवं अन्य के साथ मिलकर भूमि खसरा नम्बर 894/1क/1/2 रकवा 0.139 हे0, 895/2 रकवा 0.021 हे0 स्थित पन्ना, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0) अन्य भूमियों के साथ दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1135-दो/2016 रमजान खान विरूद्ध हरिनारायण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 1. आवेदक रमजान खान की ओर से अभिभाषक श्री ओ.पी. [illegible] एवं अनावेदक हरिनारायण की ओर से अभिभाषक श्री पी.के. तिवारी उपस्थित । 2. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार तहसील पन्ना के सीमांकन आदेश दिनांक 29-12-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 4. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-01-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 18.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	